न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 06/2018
दायरा तिथि : 15.02.2018
आदेश तिथि : 18-06.2019

प्रार्थी:–
गिरधारीसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत
निवासी सेणा तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थीगण (प्रभावित खातेदारान्) :–

1. सरीता मीणा पत्नि मनीष मीणा
2. मनीष मीणा पुत्र एम.आर. मीणा सा. बापूनगर विस्तार, पाली
3. छीगनलाल पुत्र भागीरथ
4. फुलचन्द पुत्र भागीरथ
   कौम मीणा, सा. माधोपुर जिला सीकर
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
   तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधित नियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सराकारी) संशोधन नियम, 2012 बावत नया रास्ता उपलब्ध कराने

उपस्थिति :–
श्री कैलाश कुमावत ....प्रार्थी की ओर से
तहसीलदार बाली ....पेरोकार सरकार

आदेश

दिनांक : 18-06.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी संषोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियम–68 के निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत कर धारित खातेदारी कृषि भूमि मौजा भाटून्द के खसरा संख्या 468 रकबा 2.79 हैक्टर मे आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नही होने से अन्य खातेदारान् (अप्रार्थीगण) की सहखातेदारी भूमि मौजा भाटून्द के खसरा नंबर 437, 430, 431, 432 एवं राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा भाटून्द के खसरा संख्या 433 की भूमि मे से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार, बाली एवं भू. अभिलेख निरीक्षक, वीजापुर से मौका निरीक्षण करवाया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त करने के साथ ही प्रभावित खातेदार को आक्षेप प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी जारी किये। अप्रार्थीगण को पाली तथा माधोपुर जिला सीकर के पते पर जारी रजि. डाक के नोटिस के लिफाफे उक्त पते पर निवासरत न होने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुये। दिनांक 20.03.2018 को जारी आदेश अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा हितबद्व अप्रार्थीगण को नोटिस दैनिक समाचार पत्र (राज्य स्तरीय) दैनिक नवज्याति मे छाया जाकर अखबार की प्रति पेश की गई। दिनांक 21.08.2018 को अप्रार्थीगण 1 से 4 को अखबार मे छाया होने के बावजूद उक्त अप्रार्थीगण वकालतन/असालतन उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

इस संबंध मे तहसीलदार बाली मय निरीक्षक भू.अ. बीजापुर ने द्वारा जरिये पत्रांक : राजस्व/2018/1836 दिनांक 05.10.2018 से प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक खातेदार श्री गिरधारीसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी सेणा तहसील बाली के नाम से ग्राम भाटून्द के खसरा नंबर 468 रकबा 2.79 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि खातेदारी मे दर्ज है। उक्त भूमि मे आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य विकल्प नही है। प्रार्थी के द्वारा आवेदित खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 430, 431, 432 एवं राजकीय सिवाय चक भूमि के खसरा नंबर 433 व 434 की भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार—2

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 06/2018 अनवान गिरधारीसिंह बनाम सरीता मीणा वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

स्तावित भूमि ग्राम भाटून्द की डी.एल.सी. दर चाही प्राथम (सिंचित) 34500/– रूपये प्रति ाघा व बारानी दोयम (असिंचित) 25800/– रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते पर कोई ृक्ष एवं निर्माण कार्य नही है। ग्राम भाटून्द के खसरा नंबर 427 रकबा 0.07 किस्म गे.मु. ेड दर्ज है परन्तु रेकर्ड एवं नक्शे का मिलान नही है। तहसीलदार, बाली/भू–अभिलेख निरीक्षक बीजापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अभिशंषा के अनुसार आवेदक खातेदार द्वारा धारित भूमि मे आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता की अत्यधिक व सुगमतापूर्वक तात्कालिक आवश्यकता होना प्रमाणित हैं। उक्त रिपोर्ट पर वकुलाय की बहस सुनने के पश्चात प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट ग्राम सेणा की सीमा जो कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि से जुडती हुई है, तहसीलदार बाली द्वारा अपने प्रतिवेदन मे ग्राम भाटून्द मे स्थित भूमि के संबंध मे ही आवागमन के लिये रास्ता प्रस्तावित किया है, चुकि प्रस्तावित रास्ता ग्राम सेणा की सीमा से जुडता हुआ है। अतः प्रकरण मे अग्रिम आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार बाली से इस आशय की रिपोर्ट तलब की गई कि आया प्रस्तावित रास्ते की भूमि से ग्राम सेणा के खसरा नंबर की भूमि प्रभावित है या नही ? यदि ग्राम सेणा की भूमि प्रभावित है तो इस संबंध मे जांच कर पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसीलदार बाली ने उक्त निर्देशो की अनुपालना मे पटवार मण्डल सेणा के राजस्व नक्शा ट्रेस से जांच करते हुये पुनः रिपोर्ट अपने कार्यालय पत्रांक : 743 दिनांक 16.04.2019 से रिपोर्ट पेश की। जिस रिपोर्ट मे तहसीलदार, बाली द्वारा अवगत कराया कि आवेदक को अपनी खातेदारी भूमि मे जाने के लिये ग्राम सेणा से कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा जो रास्ता प्रस्तावित किया है वह रास्ता ग्राम भाटून्द स्थित भूमि खसरा नंबर 430, 431, 432, 433, 434 से ही है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व सुनने वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आवेदक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज–06.12.4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 व धारा 251(क)(1)(ख) एवं (ii) एवं नियमो के नियम–69(ii) के अन्तर्गत ग्राम भाटून्द के खसरा नंबर 468 की भूमि मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 430, 431, 432, 433, 434 मे से 1740 वर्गमीटर नया मार्ग संलग्न नक्शा मौका के अनुरूप नियमो के नियम–70(ii)(क) के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रतिकर राशि निर्धारित कर उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ख.नं.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर) व किस्म	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल (व.मी.)	डीएलसी दर 34500/– रूपये प्रति बिघा की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि (डीएलसी दर की दुगुनी)	प्रभावित खातेदार का नाम
430	0.32 चाही प्रथम व जाव प्रथम	242 X 5 =1210 व.मी.	21.56	52175/–	अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4
431	0.75 चाही प्रथम व जाव प्रथम	30 X 5 =150 व.मी.	21.56	6468/–	अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4
432	0.15 चाही प्रथम व जाव प्रथम	24 X 5 =120 व.मी.	21.56	5174/–	अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4
	कुल	1480 वर्गमीटर	कुल	68817/–	
433	0.24 गे.मु. चट्टान	32 X 5 =160 व.मी.	21.56	6899/–	राजकीय सिवाय चक भूमि
434	0.23 बारानी दोयम	20 X 5 =100 व.मी.	25800/– रूपये प्रति बिघा की दर से (प्रति व.मी.) 16.12	3224/–	राजकीय सिवाय चक भूमि
	कुल	260 वर्गमीटर	राशि	10123/–	
	कुल रकबा	1740 वर्गमीटर	कुल राशि	78940/–	

उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार—3

Scanned by CamScanner

जस्व विविध प्रकरण संख्या 06/2018 अनवान गिरधारीसिंह बनाम सरीता मीणा वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली के प्रतिवेदनानुसार प्रस्तावित रास्ते मे अन्य कोई क्षति यथा /संरचना/निर्माण कारित नही है। अतः राशि रूपये 68817/– अक्षरे अड़सठ हजार ठ सौ सत्रह रूपये बतौर प्रतिकर उपरोक्त खातेदारान को देय होंगे। एवं राशि 10123 पये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा करवाये जावेंगे।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क)(2) के तहत त्वीकृत रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बतौर "रास्ता" राजकीय खाते में दर्ज की जावेगी एवं आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार आवेदक को अर्जित नही होगे। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुसार नक्शे में **1740 वर्गमीटर** नया रास्ता की तरमीम के साथ राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावेगा। आवेदक द्वारा राशि रूपये 68817/– अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी एवं 10123/– रूपये बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा करवाये जावेंगे। प्रभावित खातेदार(अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4) द्वारा आवेदक से प्रतिकर राशि रूपये 68817/– ग्रहण नही करने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि बतौर अमानत तहसील कार्यालय, बाली में जमा करवाई जावेगी तथा तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त राशि प्रभावित खातेदारान् को उपलब्ध कराई जावेगी। तहसीलदार द्वारा बाली द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। तहसीलदार बाली आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि के भुगतान की सुनिश्चितता कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 18-06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उप खण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 20/6/2019

क्रमांक : कोर्ट/2019/ 704-709

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, बाली
2. भू.अ.निरीक्षक, बीजापुर
3. पटवारी हल्का भाटून्द
4. तहसील राजस्व लेखाकार, बाली
5. प्रार्थी श्री गिरधारीसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी सेणा तहसील बाली
6. अप्रार्थीगण सरीता मीणा पत्नि मनीष मीणा, मनीष मीणा पुत्र एम.आर. मीणा सा. बापूनगर विस्तार, पाली, छीगनलाल पुत्र भागीरथ, फुलचन्द पुत्र भागीरथ, कौम मीणा, सा. माधोपुर जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner